न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
183/प्रा0पत्र/2019	26.12.2019	31.12.2019

1. मैसर्स स्वर्ण भाटिया प्रबन्धक, संचालक किसान खाण्डसारी उधोग निवासी ग्राम खरोली लीजदार
2. द्रोपदी भाटिया पत्नी जी.सी. भाटिया कौम सिन्धी निवासी 49 ए न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा (राज0) जर्ये मुख्तार आम सुदामा आहूजा पुत्र जवाहर लाल मकान नं0 648 श्रीपुरा कोटा

...प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0) ....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री नन्द सिंह सोंलकी
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थीगण मुख्तारआम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. प्रार्थी क्रम संख्या 1 के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 393/206 रकबा 10 बीघा व प्रार्थी क्रम संख्या 2 के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 211 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ से संबघित विवाद है तथा ऐसी सीमा संबंघित विवादों का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की घारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है जिसके तहत सीमाओ के संबंघ मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी जहां तक सम्भव हो विघमान सर्वेक्षण नक्शों के आघार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना हो तो वहां वास्तविक कब्जे के आघार पर करेगा। साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकार संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह कि प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार तालेडा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नही है इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की घारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगडी) करवाना चाहते है, जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्याय हित मे अति आवश्यक है। साथ ही मे प्रार्थीगण वैकल्पिक रूप से जी.पी.एस. टेक्नोलोजी से भी भूमि का नाप कराने को तैयार है जिसका खर्चा भी नियमानुसार अदा करने को तैयार है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित फरमावे कि प्रार्थी क्रम संख्या 1 के खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 393/206 रकबा 10 बीघा व प्रार्थी क्रम सं0 2 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 211 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम खैरोली तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान का सर्वेक्षण जी.पी.एस. टेक्नोलोजी अथवा पत्थरगडी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेराकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की और से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 38 ग्राम खैराली 2071–74, नकल जमाबन्दी खाता सं0 115 ग्राम खैराली 2071–74 मुख्तार आम खास दिनांक 30.11.2018 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 38 ग्राम खैराली 2071–74 में द्रोपदी भाटिया पत्नि जो.सी. भाटिया कौम सिंधी खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं नकल जमाबन्दी खाता सं0 115 ग्राम खैराली 2071–74 में मेसर्स स्वर्ण भाटिया प्रबन्धक संचालक किसान खण्डमारी उद्योग निवासी ग्राम खेरोली लीजदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार 500/–रू पत्थर गढी शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की पत्थर गढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा